उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-146/2018/216मंत्री/26-3-2018-04(52)/2015
लखनऊ दिनांकः 07 जून 2018

आदेश/शुद्धि पत्र

अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती के विकास कार्यो हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराषि रू0-426.13 लाख (रू0 चार करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-182/2017/2940/26-3-2017-04(59)/2015, दिनांक-12.12.2017 द्वारा जारी की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(1) में कार्यदायी संस्था, ''उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0'' के स्थान पर कार्यदायी संस्था के रूप में ''यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0'' को नामित किया जाता है।

शासनादेश के शेष अंश/शर्ते यथावत रहेंगे।

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

पृ0सं0-146/2018/216मंत्री(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
3-जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती।
4-निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर, भवन, उ0प्र0लखनऊ।
6-प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ को शासनादेश दिनांक-12.12.2017 की प्रति सहित।
7-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0
8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in